

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

दिनांक : प.8(11)गृह-12/कारा/2015

जयपुर, दिनांक 28 SEP 2015

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजस्थान।

:: परिपत्र ::

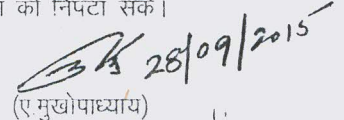
दी राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज आन पैरोल रूल्स, 1958 के नियम 10 ए के अंतर्गत बंदी के निकट परिजनों की गम्भीर बीमार स्थिति, मृत्यु, प्राकृतिक आपदा से सम्पत्ति को गम्भीर नुकसान, स्वयं अथवा परिजनों के विवाह आदि के लिए बंदी द्वारा प्रस्तुत आपात पैरोल प्रार्थना पत्रों पर मानवीय आधार पर विचार कर पैरोल स्वीकृति का प्रावधान है।

बंदी द्वारा आपात पैरोल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर यह आवश्यक है कि उसके द्वारा आपात पैरोल प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों की गम्भीरता पर मानवीय आधार पर विचार किया जाकर आपात पैरोल प्रार्थना पत्र का तत्काल निस्तारण किया जावे। किन्तु यह ध्यान में लाया गया है कि बंदियों द्वारा आपात पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों का तत्काल निस्तारण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण बंदियों द्वारा आपात पैरोल हेतु भी न्यायालयों में याचिका/वाद दायर किये जा रहे हैं। बंदियों द्वारा इस प्रकार के वाद दायर किये जाने से कार्य व्यवस्था पर अनावश्यक कार्य भार बढ़ता है जिससे समय, धन व श्रम का अपव्यय होता है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में हाल ही में दायर डी.बी.सिविल रिट पिटीशन (पैरोल) संख्या 4498/2015 पल्लू उर्फ परवेज बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 में बंदियों के आपात पैरोल प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पारित निर्णय का सम्बन्धित अंश नीचे उद्धृत है:-

“In the instant case also, the application came to be filed by the convict-petitioner immediately after the death of his father on 10.03.2015 but it is a sorry state of affairs that still no attention has been paid by the District Parole Advisory Committee and we find that correspondence are going on from one office to other and that is not the object for seeking emergent parole, provided U/R, 10-A of the Rules, 1958.

The respondents shall send a communication to all the District Parole Advisory Committees to pay attention and decide the applications seeking emergent parole within ten days of its filing and that is the only purpose with which the object to consider the application for emergent parole could be achieved, as mandated U/R.10-A of the Rules, 1958.”

अतः मा. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि बंदियों के आपात पैरोल प्रार्थना पत्रों पर मानवीय आधार पर विचार किया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार तत्काल किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि नियमों के तहत पात्र पाये गये बंदी आपातकालीन परिस्थितियों में अपने परिजनों के साथ रह कर आपातकालीन दशा को निपटा सकें।


(ए मुखोपाध्याय)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर को डी.बी.सिविल रिट पिटीशन (पैरोल) संख्या 4498/2015 पल्लू उर्फ परवेज बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 की अनुपालना में प्रेषित है।
2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक 7397 दिनांक 08.05.15 के क्रम में।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव